न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2022(रसद) (GCMS 2022/134)	13.05.2022	26.09.2023

अनवान

विकास धाकड पिता रूपलाल धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अनोपपुरा तहसील बेंगूं जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– बीएल पोखरना — अपीलार्थी
पैरोकार सरकार — प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ दिनांक 25.03.2021 बमामले प्रकरण संख्या 058/2020 रसद

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 25.03.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी विकास धाकड उचित मूल्य दुकानदार ग्राम अनोपपुरा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ का रहा है। जिसके उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र संख्या 83/2018 को विधि एवं तथ्यों के विपरित जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने आदेश दिनांक 25.03.2021 के द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरित निरस्त कर दिया जिससे दुःखित एवं असन्तुष्ट अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.2021 पारित किया है जो मूलतः विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को निर्णय जैर अपील पारित करने से बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने बाबत् जिला रसद अधिकारी द्वारा इस कारण निर्देशित कर दिया था कि सारा कार्य ऑन लाईन हो गया हैं इस कारण स्टाक रजिस्टर रखना जरूरी नही था। पॉस मशीन में अंगूठे लगवा कर गेंहू की कुल मात्रा से कम देने का तथ्य गलत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। अपीलार्थी ने किसी को कम गेंहू नहीं दिया तथा पात्रता अनुसार पॉस मशीन के अनुसार गेंहू दिया गया। चने की दाल व चीनी भी अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई जिसका भी ऑन लाईन पॉस मशीन के अनुसार दी गई। उपभोक्ताओं को आधार सीट नहीं होना बता कर वंचित रखने जुलाई 2020 अन्तोदय राशन कार्ड धारक को चीनी नहीं देने प्रवासियों को दो माह के बजाय 1 (एक) माह का गेंहू व चना देने आदि के तथ्य प्रमाणित न होते हुए भी झूठी शिकायत के आधार राजनैतिक विद्वेष के कारण अपीलार्थी का उचित दुकान का लाईसेन्स निरस्ती का आदेश जो पारित किया गया है वह निरस्तनीय है। निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.2021 का है। जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नही थीं। अपीलार्थी जैर बीमार हो गया और दर्द से लम्बे समय बीमार रहा जिस कारण आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.03.2022 को हुई उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय जैर अपील की प्राप्त की गई। दिनांक 30.03.2022 का रंगतेरस का माननीय जिला कलेक्टर का अवकाश घोषित हो जाने के कारण दिनांक 31.03.2022 को अपील तैयार की जाकर दिनांक 01.04.2022 को अपील पेश की जा रही है। यद्यपि कानूनी अड़चनों से बचने के लिए व अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने के लिए धारा 5 कानून मयाद का आवेदन मय शपथ–पत्र पेश किया जा रहा है जिससे अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील मयाद मे शुमार फरमायी जावे। अंत में प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.2021 प्रकरण संख्या 58/2020 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी विकास धाकड का ग्राम अनोपपुरा का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार–पत्र बहाल फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/विधि/58/2020/234 दिनांक 06.06.2022 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 05822020 निर्णय दिनांक 25.03.2021 अनवानी सरकार बनाम विकास धाकड प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 26.09.2023 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जानकारी अपीलार्थी को नही थीं। अपीलार्थी जैर बीमार हो गया और दर्द से लम्बे समय बीमार रहा जिस कारण आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.03.2022 को हुई उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय जैर अपील की प्राप्त की गई। दिनांक 30.03.2022 का रंगतेरस का माननीय जिला कलेक्टर का अवकाश घोषित हो जाने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के कारण दिनांक 31.03.2022 को अपील तैयार की जाकर दिनांक 01.04.2022 को अपील पेश की गई है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 25.03.2021 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला रसद अधिकारी, नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी विकास धाकड उचित मूल्य दुकानदार ग्राम अनोपपुरा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ का रहा है। जिसके उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र संख्या 83/2018 को विधि एवं तथ्यों के विपरित जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने आदेश दिनांक 25.03.2021 के द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरित निरस्त कर दिया जिससे दुःखित एवं असन्तुष्ट अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.2021 पारित किया है जो मूलतः विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को निर्णय जैर अपील पारित करने से बचाव में साक्ष्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने बाबत् जिला रसद अधिकारी द्वारा इस कारण निर्देशित कर दिया था कि सारा कार्य ऑन लाईन हो गया हैं इस कारण स्टाक रजिस्टर रखना जरूरी नही था। पॉस मशीन में अंगूठे लगवा कर गेंहू की कुल मात्रा से कम देने का तथ्य गलत हैं। अपीलार्थी ने किसी को कम गेंहू नहीं दिया तथा पात्रता अनुसार पॉस मशीन के अनुसार गेंहू दिया गया। चने की दाल व चीनी भी अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई जिसका भी ऑन लाईन पॉस मशीन के अनुसार दी गई। उपभोक्ताओं को आधार सीट नहीं होना बता कर वंचित रखने जुलाई 2020 अन्तोदय राशन कार्ड धारक को चीनी नहीं देने प्रवासियों को दौ माह के बजाय 1 (एक) माह का गेंहू व चना देने आदि के तथ्य प्रमाणित न होते हुए भी झूठी शिकायत के आधार राजनैतिक विद्वेष के कारण अपीलार्थी का उचित दुकान का लाईसेन्स निरस्ती का आदेश जो पारित किया गया है वह निरस्तनीय है।

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही विस्तृत जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं के, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करना, एवं नियमित गेहूं एवं अतिरिक्त गेहूं का वितरण नहीं किया जाना और गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना तथा कुछ उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताये गेहूं का ट्रांजेक्शन करना गवाहानों के बयान के आधार पर प्रमाणित पाया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 विधि–सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 083/2018 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

प्रवर्तन निरीक्षक जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण कार्य समय पर नहीं किया जा रहा है। 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक भी आधार सीडिंग नहीं करवाई गई। इस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा क्रमांक/रसद/विधि/2020/1275 दिनांक 04.09.2020 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नोटिस/आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रोपर तामील नहीं कराई गई। इसके साथ ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि प्रवर्तन अधिकारी के पत्र दिनांक 03.09.2020 की पुष्ठि करता हो, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 25.03.2021 उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का जवाब, तथ्य एवं साक्ष्य का विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी का उक्त आदेश किसी भी प्रकार से न्यायिक आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 09.09.2020 को कारण बताओ नोटिस/आदेश जारी किया गया है किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस/आदेश अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2021 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रति–प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 058/2020 निर्णय दिनांक 25.03.2021 अनवानी सरकार बनाम विकास धाकड को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में विपक्षी को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ अज–सर्रे नव **Speaking and reasoned** निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official